राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या 01/2018

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 23.04.2018 निर्णय दिनांक : 22/5/2010

राजस्थान सरकार बनाम रूघाराम पुत्र रामदेव जाति गुर्जर नि0 पालड़ी

–: उनवान :–

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सरगौठ द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रूघाराम पुत्र रामदेव जाति गुर्जर निवासी पालड़ी नें ग्राम हनुमानपुरा के खसरा नम्बर 1040 कुल रकबा 0.37 हैक्टेयर में से रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता भूमि पर सम्वत 2075 में बाड़ लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किया गया। नोटिस की प्रति गैर सायल रूघााम स्वय ने प्राप्त की। गैर सायल ने उपस्थित होकर जवाब पेश व अन्य दस्तावेज पेश नहीं किए। गैर सायल को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए गए। गैर सायल द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 15.05.2018 को जवाब बन्द किया गया।

गैर सायल द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है कि जिससे प्रार्थना –पत्र मे उल्लेखित तथ्यो की पुष्टि हो सके एवं न ही विधिक साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि गैर सायल ने जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिकमण किया है । एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

गैर सायल को प्रश्नगत भूमि पर अतिकमी घोषित किया जाता है तथा ग्राम हनुमानपुरा के आराजी राज खसरा नम्बर 1040 कुल रकबा 0.37 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता भूमि में से रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप गैर सायल पर

तहसीलदार
कुचामन सिटी (नागौर)

...... 0.30 का पच्चास गुणा से राशि 15/– अक्षरे पन्द्रह रुपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ निरीक्षक को गैर सायल को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे । आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 22-5-18 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22-5-18

(महावीर प्रसाद शर्मा)

तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर (राज0)

मांग कायमी ग.ले.स.-4
क्र.पृष्ठ संख्या 20
वर्ष 18-19
रा.जुर्माना 15
क.निलामी
गोचर जुर्माना
प्रा.पैदावार

तराले कुचामन सिटी